population problem. Another fund is given to Uttar Pradesh for that purpose. We are giving an amount of Rs. 21 crores or so under that scheme. This is mainly for improving the infrastructure.

Roster in Hindu College, Delhi

*282. SHRI GANDHI AZAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether liaison officer of National Commission for SC/ST has the ultimate authority to see whether the roster is being implemented;

(b) whether liaison officer/National Commission for SC/ST are responsible to have their recommendation implemented;

(c) whether a stay order has been obtained against the National Commission for SC/ST from court during the investigation of roster in the Hindu College of Delhi University; and

(d) if so, whether the powers of National Commission for SC/ST abrogated/overlooked and if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have responsibility, inter-alia, to monitor implementation of reservation in services and to make suitable recommendations in this regard. The Liaison Officers designated in various Minister/Departments and Organisation are responsible to ensure proper maintenance of rosters of reservation.

(c) While investigating a complaint relating to promotion of a Scheduled Caste employee in Hindu College, Delhi, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has issued summons for the personal appearance of the Chairman of Governing Body of the College. The latter has obtained stay orders from the Delhi High Court against the summons.

(d) Under Article 338 of the Constitution of India, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has all the powers of a civil court wherein it can call for personal appearance, production of records, documents, etc. None of these powers have been challenged in the Writ Petition filed by Hindu College. The orders of the High Court are interim in nature and the matter is sub judice.

श्री गांधी आज़ादः सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसमें साफ और स्पष्ट लिखा गया है कि "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की अन्य बातों के साथ-साथ यह जिम्मेदारी है कि वह सेवाओं में आरक्षण का मानिटर करे तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें भी करें।" लिखा तो साफ गया है, लेकिन अपने प्रश्न के 'क' भाग के रूप में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों और आरक्षण में मानिटरिंग करने के निर्देशों का पिछले पांच वर्षों में कितना क्रियान्वयन हुआ है? और

आपने प्रश्न के 'ख' भाग के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि आयोग की सिफारिशों और आरक्षण में रोस्टर के निर्देशों का क्रियान्वयन न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः सभापति जी, इसके लिए पृथक से नोटिस की जरूरत होगी। यह सवाल हिन्दू कालेज से संबंधित है, लेकिन सारे विभाग का और सारे विश्वविद्यालयों का पिछले पांच साल का आंकड़ा मांगा जा रहा है, इसके लिए पृथक नोटिस की जरूरत है।

सभापतिः ठीक है। सैकिंड सप्लीमेंटरी। गांधी आज़ाद जी, प्रश्न इसी कालेज से संबंधित कीजिए।

श्री गांधी आज़ादः मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के 'घ' भाग का उत्तर देते हुए लिखा है कि 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सिविल कोर्ट की वह सभी शक्तियां हैं जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, रिकार्डों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने इत्यादि के लिए कह सकता है'। इसी शक्ति का दुरुपयोग करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग ने हिन्दू कालेज दिल्ली में एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी की पदोन्नति से संबंधित एक शिकायत की जांच करते समय कालेज के स्थाई निकाय के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। जब आयोग को शक्ति है और सम्मन जारी करने का अधिकार है और जब उसने उसका सदुपयोग करते हुए अध्यक्ष को प्रस्तुत होने का आदेश जारी किया, तो हिन्दू कालेज

द्वारा दायर रिट याचिका क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों को चुनौती नहीं है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत सिविल कोर्ट की शक्तियां इस आयोग को प्राप्त हैं और उसके आधार पर वह लोगों के दस्तावेजों का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और लोगों को अपने यहां गवाही देने के लिए बुलाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। इस मामले में कोई चुनौती उनके अधिकार को नहीं दी गई है। हाई कोर्ट में केवल, स्थाई समिति के अध्यक्ष ने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए क्षमायाचना करते हुए उन्हें उससे ऐक्जैम्प्ट करने के लिए प्रतिवेदन किया था और उसमें कोई चुनौती इस आयोग के अधिकाऐं को नहीं दी गई थी। जो आदेश है हाई कोर्ट का, वह भी अंतरिम आदेश है और उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि:—

"In the meantime there shall be an interim order staying the summons issued to Shri Bharat Ram—Petitioner No. 2, to appear before the Commission on 13-8-1999 or any other day."

बाकी लोग वहां जा रहे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से गए हैं, कालेज की तरफ से गए हैं, केवल इन्हीं को व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहने का अंतरिम आदेश हाई कोर्ट की तरफ से प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रिट याचिका में आयोग की शक्तियों को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आयोग ने नोटिस दिया और उन्होंने नोटिस का स्थगन आदेश हाई कोर्ट से ले लिया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने कालेजेज हैं उनमें एस॰सी॰/एस॰टी॰ के लोगों की प्रमोशन के लिए जो रोस्टर प्रणाली है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, यह मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कालेज इस आरक्षण की नीति को लागू नहीं कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जो ग्रांट मिलती है, क्या उसे बंद करने का सरकार का कोई इरादा है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसके तथ्य कुछ दूसरे हैं। यह बात तो ठीक है कि हमारे विश्वविद्यालय में एस॰सी॰/एस॰टी॰ के अध्यापकों की संख्या जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वहां रोस्टर पद्धति लागू नहीं है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 प्वाइंट और 100 प्वाइंट रोस्टर के आदेश का पालन हो रहा है और 1997 से हम विशेष अभियान चला रहे हैं और

इनको पूरा करने के लिए विशेष विज्ञापन निकाल रहे हैं Special drive for recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों में जब से यह योजना लागू हुई है, उसके बाद रिक्तियां कम हुई हैं। पिछले सालों में अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ जाने के कारण रिक्तियां कम हुई हैं।

श्री मूल चन्द मीणा: मंत्री जी, एस॰सी॰/एस॰टी॰ की जगह जनरल क्लास को भर रखा है। जिन कालेजों में ऐसा हुआ है, उनकी ग्रांट्स आप रोकेंगे क्या?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मुझे आप स्पैसिफिक केस बताइए जहां एस॰सी॰/एस॰टी॰ की रिक्ति के स्थान पर जनरल कैंडीडेट को रखा गया है, मैं जरूर उसकी जांच कराऊंगा और दंडित भी करूंगा।

श्री मूल चन्द मीणा: कार्यवाही क्या कर रहे हैं, जांच तो हो जाएगी।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जांच का जो निर्णय होगा उसके आधार पर कार्यवाही अवश्य करूंगा, पहले आप मुझे स्पैसिफिक केस तो बताइए।

श्रद्धेय धम्मा वीरियो: सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिन्दू कालेज में नेशनल कमीशन फॉर एस॰सी॰/एस॰टी॰ के साथ जो व्यवहार किया गया है, वह उचित नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर एस॰सी॰/एस॰टी॰ को जो पावर आपने दी है, संविधान ने दी है, उसकी अवहेलना की गई है। समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के हक को दिलाने के लिए यह कमीशन कार्य कर रहा है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कालेज इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, आपको उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है। आपकी बी॰जे॰पी॰ ने तो सम्मान के साथ एक शैड्यूल्ड कॉस्ट व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन शेड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों के प्रति जो विचार हो रहा है उसके लिए आप कार्रवाई करने के बारे में इधर से उधर बातें करें तो देश को बड़ा दुख होगा और हमें भी बड़ा दुख होगा। मैं सवाल के साथ आपसे विनम्रता के साथ कहने जा रहा हूं कि इसको सुधारने के लिए आप कार्रवाई करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, हमारे विभाग के द्वारा और यू॰जी॰सी॰ के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित आदेश दिए गए हैं कि इस संबंध में सरकार की नीति का अक्षरशः पालन किया जाए और हमारी तरफ से पूरा प्रयास यह होगा। जहां तक माननीय सदस्य ने इस बात के बारे में कहा है कि आयोग के किसी अधिकार की अवमानना या अवहेलना की गई है, तो न तो मंत्रालय का ऐसा कोई इरादा है और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का

और न ही किसी संस्था का। हम अत्यन्त विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट मे रिट याचिका दाखिल की जो उनका अधिकार है। उसके अनुपालन में उनको अनुपस्थित रहने का अन्तरिम रूप से आदेश मिला। जब भी हाई कोर्ट उनको सम्मन करेगी वह जरूर जाएंगे। अगर हाई कोर्ट यह कहेगी कि इनको शैड्यूल्ड कॉस्ट आयोग के सामने उपस्थित होना चाहिए तो जरूर जाएंगे। लेकिन यह उनका भी अधिकार है नागरिक के नाते, उस संविधान के अर्न्तगत कि वह हाई कोर्ट के पास जा सकें और इसमें भी उनके किसी अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई है। जो रिट याचिका मैंने देखी है केवल उन्होंने प्रार्थना की है और उसको हाई कोर्ट ने अंतरिम रूप से स्वीकार किया है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, though one part of the question is about Delhi University, it is also a general question with regard to the functioning of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the recent Governors' Conference had decided to go in for a monitoring committee or a monitoring mechanism to oversee the implementation of reservations, including the Roster System, in various States. If so, will it be a separate mechanism or will it also be having some sort of coordination with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission? Will it not be overlapping? What is the thinking of the Government in this regard?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपालों के सम्मेलन में इस संबंध में विस्तृत चर्चा की थी और कुछ सम्मानित राज्यपालों ने इस संबंध में सम्मेलन का ध्यान आकृष्ट किया था कि कुछ राज्यों के विश्वविद्यालय इस बारे में पूरे तौर पर जो अधिकार और जो सुविधाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जा रही हैं उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित बात नहीं थी, कुछ राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबंधित थी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस संबंध में अपना एक सुविचारित निर्णय दिया है कि इस बारे में राज्यपाल अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर इसको देखेंगे। केन्द्रीय सरकार के बारे में इस संबंध में कोई विशेष आदेश नहीं हैं। लेकिन उस बारे में मैंने स्वयं उस सम्मेलन में यह कहा था कि इस संबंध में हम पूरे जागरूक हैं और जागरूक रहने के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए रास्ते से ....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: गवर्नर्स कांफ्रेंस और राष्ट्रपति को बीच में नहीं लाना चाहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सवाल पूछा है उन्होंने।

श्री सभापतिः वह नहीं लाना चाहिए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडूः राष्ट्रपति का नाम नहीं ले रहे हैं केवल कांफ्रेंस के बारे में है।

श्री सभापतिः कांफ्रेंस की बात नहीं है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनके नाम से सुझाव हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री एम॰ वेंकैया नायडूः मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है वह अच्छा है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझाः सभापति महोदय, मूल प्रश्न तो अनुसूचित जनजाति आयोग के फंक्शनिंग उसकी सीमाओं को लेकर था जैसा कि थोड़ा ध्यान माननीय सदस्य ने दिलाया। मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में विभिन्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, लॉयजन आफिसर्स और मॉनिटरिंग की बात भी की है.....। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में रोस्टर पद्धति को लागू नहीं किए जाने संबंधी कितनी शिकायतें आयोग सरकार के ध्यान में लाया और उस संबंध में उनकी सिफारिशें क्या थीं? उन सिफारिशों को सरकार ने या मिनिस्ट्री ने किस हद तक लागू किया या लागू करने के संबंध में क्या विचार किया है? यह प्रश्न काफी गंभीर है। रोस्टर सिस्टम को लागू करना और रिजर्वेशन को लागू करने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। उसका उद्देश्य सामान्य वर्ग के स्तर पर इस समूह को लाना भी है। यह काफी दुखद है कि हमारे देश में अभी भी इस मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हाल ही में एक समाचार आया कि एक शैड्यूल्ड कास्ट का जज था, जहां पर वह रहता था उसके रिटायरमेंट के बाद दूसरा जज आया तो उसने हरिद्वार से गंगाजल मंगाकर उसको धुलवाया। यह तीन-चार दिन पहले ही अखबार में छपा है। यह मामला काफी गंभीर है। इसकी मानीटरिंग के लिए और इसकी देखरेख के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग है और इसको माना जा रहा है कि इसको तो सिफारिश करने का अधिकार है, सलाह देने का अधिकार है, इसे रिजर्वेशन को लागू करवाने का अधिकार नहीं है। यह आयोग रोस्टर पद्धति को लागू करे, इसको सुनिश्चित करे, इसके बारे में आपकी मिनिस्ट्री क्या कोई विचार कर रही है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः सभापति महोदय, यह प्रश्न जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिन्दू कालेज से संबंधित है, उसकी एक घटना से संबंधित है। व्यापक आंकड़ों के लिए तो पृथक नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में हमारा मंत्रालय सदैव सचेत रहा है और बराबर हम इस बात की चेष्टा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्फत से करते रहते हैं और वैसे भी विश्वविद्यालय स्तर पर इस संबंध में चर्चा होती रहती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर जिसकी एक संवैधानिक व्यवस्था है, बाकी सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के बारे में पूरा ध्यान दिया जा रहा है,

व्यवस्था की जा रही है। रोस्टर सिस्टम लागू रहे इसके बारे में बराबर आग्रह किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया पिछले दो-तीन वर्षों मे सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ जाने के कारण रिक्तियां बहुत कम हुई हैं और इस कारण से वहां पर नियुक्तियां भी कम हुई हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम रोस्टर सिस्टम को लागू नहीं कर रहे हैं। रोस्टर सिस्टम 40 पाइंट, 100 पाइंट दोनों को लागू करने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालयों को इस बारे में निर्देश होते हैं और जैसा मैंने बताया दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक विशेष ड्राइव भी एस०सी०/एस०टी० की भर्ती के लिए चलाया है। हम इस तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं।

Rail over bridges in Punjab

*283 SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the status, as on date, of all the rail over bridges in Punjab, which have been cleard by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI DIGVIJAY SINGH): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following works of Road Over/Under Bridges falling in Punjab are at various stages of construction.

Sl. No.	Name of Work	Year of Sanction	Rly's share of cost Rs. in lakhs	State Govts. share Rs. in lakhs	Status
1.	Road over bridge in lieu of level crossing No. 25-B between Bhatinda-Ferozpur at Kotkapura	1996-97	366	617	65% progress on bridge proper and 100% progress on approaches has already been made. All the columns have been cast and capping beams have been completed Casting of one span has been done. Staging and reinforcement of second span also completed. Bridge proper is likely to be completed by September, 2000.

310 RSS/2001--2